समाहरणालय, मधेपुरा

(गोपनीय शाखा)

-: संयुक्त आदेश :-

इस वर्ष दीपावली /काली पूजा-2015 का त्योहार दिनांक 10-11-2015 तथा 11-11-2015 को मनाया जा रहा है। विगत वर्षो में दीपावली /काली पूजा के अवसर पर इस जिले की साम्प्रदायिक स्थिति प्रायः शांत रही है, फिर भी हाल के दिनों में कट्टरपंथी असामाजिक तत्वों के क्रियाकलाप एवं साम्प्रदायिक विद्वेष के मद्देनजर इस पर्व के अवसर पर कड़ी निगरानी बरतने की आवश्यकता है।

उल्लेखनीय है कि पुरानी दुश्मनी /विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव की संभावना बनी रहती है, फलस्वरूप विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। गत वर्ष के इतिवृत्त /विधि-व्यवस्था के मद्देनजर इस जिला के दोनों अनुमण्डल दण्डाधिकारी /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी से दीपावली /काली पूजा के अवसर पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्राप्त पूर्वाभाष प्रतिवेदन के आधार पर जिले में कुल- 67 स्थानों पर सशस्त्र बल, पुलिस पदाधिकारी एवं प्रभारी दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति दिनांक 10-11-2015 के अप0 02:00 बजे से दिनांक 12-11-2015 के प्रातः 06:00 बजे तक (सर्वथा उनके क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहने के उपरान्त) परिशिष्ट-'क' के अनुसार की जाती है। इस अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है :-

1-धनतेरस

(क) सघन गश्ती :- इस वर्ष दिनांक 09-11-2015 को धनतेरस पर्व मनाया जायेगा। इस अवसर पर हिन्दु समुदाय द्वारा सोना-चांदी, वाहन, इलेक्ट्रोनिक सामान इत्यादि खरीदने की परम्परा है। इस दिन ज्वेलर्स, बर्तन, इलेक्ट्रोनिक सामान इत्यादि दुकानें देर रात्रि तक खुली रहती है तथा लोगों द्वारा खरीदारी किया जाता है, फलस्वरूप असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी-पौकेटमारी, चेन स्नेचिंग, बेग स्नेचिंग, लूट-पाट, महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि की घटना को अंजाम देने की संभावना बनी रहती है। भीड़ वाले बाजारों में बम विस्फोट जैसे घटनाओं की भी आशंका हाल के दिनों में बढ़ गयी है। अतः सभी अंचलाधिकारी/ थानाध्यक्षों को निदेशित किया जाता है कि मुख्य बाजार के साथ-साथ गली तथा सुनसान स्थानों में अवस्थित सोने-चांदी की दुकानों /इलेक्ट्रोनिक्स दुकानों आदि पर भी धनतेरस की रात सघन गश्ती किया जाए।

(ख) सी0सी0टी0वी का इन्सटॉलेशन :- सभी मुख्य दुकानों के सामने त्योहारों की अवधि में, सी0सी0टी0वी0 कैमरा इन्सटॉलेशन हेतु व्यवसायी संघ के अध्यक्ष के साथ बैठक कर अनुरोध किया जा सकता है। इसके लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज अपने स्तर से बैठक बुलाकर व्यवसायी संघ के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उक्त कार्य सम्पादित करेंगे।

2–लक्ष्मी /काली पूजा

(क) प्रतिमा स्थापना /पूजा :– दीपावली /काली पूजा के अवसर पर प्रतिमा स्थापना की परम्परा रही है। कभी–कभी विवादित स्थल पर प्रतिमा की स्थापना के अवसर पर विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है, फलस्वरूप विवादित स्थल पर प्रतिमा का स्थापना किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। साथ ही शत–प्रतिशत प्रतिमाओं की अनुज्ञप्ति पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा–66 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाए। इसके अतिरिक्त जबरन चंदा वसूली नहीं हो, इसे सभी संबंधित अंचलाधिकारी /थानाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे। विधि–व्यवस्था के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि दुसरे समुदाय के धार्मिक स्थलों के पास पटाखा नहीं फोड़ा जाए, लाऊडस्पीकर (खासकर नमाज के समय) नहीं बजाया जाए, उत्तेजक नारा नहीं लगाया जाए आदि संबंधी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। अतः सभी संबंधित अंचलाधिकारी /थानाध्यक्ष को निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त निदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(ख) पूजा पंडाल आदि में बिजली कनेक्शन :– कार्यपालक अभियंता, विद्युत एवं सहायक अभियंता, विद्युत, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि किसी भी हालत में किसी भी मेला आयोजकों /समिति द्वारा टोका लगाकर बिजली का कनेक्शन नहीं लगावें, इसे हरहाल में सुनिश्चित करावें। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि तत्काल उन्हें फॉर्म भरकर अस्थायी कनेक्शन लेने हेतु निदेशित करें। साथ ही सभी पंडालों में अपने कनीय अभियंता एवं बिजली मिस्त्री के माध्यम से पंडालों के विद्युत व्यवस्था की जांच करावें। किसी भी पंडाल में नग्न वायर नहीं लगा हो तथा कट प्वाईंट / स्वीच बोर्ड आदि आम लोगों की पहुंच से दूर हो।

(ग) धुम्रपान निषेध :– सभी पूजा पंडालों को सार्वजनिक स्थान घोषित किया जाता है तथा कोटपा के तहत् पंडाल के पास धुम्रपान करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध निर्धारित जुर्माना वसूल करेंगे। इसे सख्ती से अनुपालन कराने हेतु सभी पूजा पंडालों के सुगोचर स्थानों पर बड़े एवं मोटे शब्दों में **''धुम्रपान निषेध''** तथा **पकड़े जाने पर 200/– रूपये जुर्माना एवं जुर्माना वसूलने वाले पदाधिकारी का नाम /मोबाईल नम्बर** अंकित रहेगा।

(घ) प्रतिमा विसर्जन –सह– जुलूस की अनुमति :– गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली, 2014 के अवसर पर पंडाल आयोजन की अनुमति संबंधित थानाध्यक्ष /प्रखंड विकास पदाधिकारी /पुलिस निरीक्षक /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर संबंधित अनुमण्डल दण्डाधिकारी पूर्व निर्धारित शर्त्तो के अधीन देंगे। इसी प्रकार प्रतिमा विसर्जन /जुलूस की अनुमति थानाध्यक्ष /पुलिस निरीक्षक की अनुशंसा पर संबंधित अनुमण्डल दण्डाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी गत वर्ष की भांति निर्धारित शर्त्तो के अधीन देंगे। दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी /काली पूजा का प्रतिमा विसर्जन के मद्देनजर बिना अनुज्ञप्ति के जुलूस निकलने की अनुमति नहीं दी जाए। जुलूस मार्ग का सत्यापन अवश्य किया जाए तथा सामान्यतः नये मार्गो से जुलूस निकालने की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जाए। संवेदनशील मार्गो की पहचान करते हुए सभी जुलूस को स्कार्ट (प्रारंभ से लेकर विसर्जन के बाद

लौटने तक) तथा जुलूस में प्रयोग किये जाने वाले डी0जे0/ अश्लील संगीत के संबंध में अनुज्ञप्ति में ही उल्लेख किया जाए। साम्प्रदायिक टकराव के संभावित सभी संभावनाओं पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अतः सभी संबंधित अंचलाधिकारी /थानाध्यक्ष इसका अनुलपान दृढ़ता से सुनिश्चित करायेंगे।

3–आतिशबाजी

(क) आतिशबाजी /पटाखा छोड़ना :- दीपावली /काली पूजा के अवसर पर आतिशबाजी का अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आग लगने की संभावना रहती है। पटाखों से बच्चों के घायल होने की अधिक संभावना बनी रहती है। प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, मधेपुरा, सभी थानाध्यक्ष, सभी अंचलाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकरी /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को निदेश दिया जाता है कि निर्धारित ध्वनि एवं ज्वलनशीलता से अधिक मानक वाले पटाखों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगायी जाए।

विस्फोटक नियम, 2008 के अनुसार पटाखों के संबंध में निम्नांकित तथ्य दृष्टव्य है :-

The fireworks are classified into the following categories depending upon the desired pyrotechnique effect :—

(i) Sound emitting fireworks.—Fireworks with sound level not exceeding 125 dB (AI) or 145 dB (C) pk at 4 meters distance from the point of bursting. For individual fire- cracker constituting the series (joined fire-crackers), the above mentioned limit be reduced by 5 log 10(N) dB, where N = number of crackers joined together;

(ii) Colour or light emitting fireworks.—such fireworks which emit colour or light and having sound level not exceeding 90 dB (AI) at 4 m distance from the point of bursting;

(iii) Display Fireworks.— Any product of fireworks assembled at the site for the purpose of display including shell of diameter exceeding 25 mm, multiple shots or cake products of any diameter exceeding 25 nos., of shots in a product and lance network or other products as approved by the Chief Controller; and

(iv) Fireworks for export purpose.—Firecrackers for the purpose of export may be manufactured with high sound level or product of such size and design as approved by the Chief Controller subject to following conditions :

(a) The manufacturer shall have a valid export order with him; and

(b) The sound level for these fire crackers shall conform to the sound level prescribed in the country to which these are intended to be exported.

(ख) स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्था :- सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि सभी स्वाथ्य केन्द्रों पर आग से जलने पर बचाव संबंधी आवश्यक दवाई रखते हुए आवश्यक